20रु. COURT FEE Rs.2 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES INDIA
10रु. COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

186

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म0प्र0,

निगरानी प्रकरण क्रमांक R 66–I/17 / सन् 2016

धर्मेन्द्र चतुर्वेदी (एड.)
4/01/17

4-1-17

27
4-1-17

वारेलाल पिता स्व0श्री धूराम काछी
निवासी ग्राम राजनगर तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0। -------- निगरानीकर्ता/आवदेक

बनाम

1. कौसा वेवा मुरलीधर उर्फ मुरली काछी
2. फूलवती पुत्री मुरलीधर काछी पत्नी वालगोटी काछी
3. बसन्ती पुत्री मुरलीधर काछी पत्नी प्यारेलाल काछी उर्फ भैयन
4. बिन्ना पुत्री मुरलीधर काछी पत्नी मनी काछी
5. राजू पिता मुरलीधर काछी
6. संतोष पिता मुरलीधर काछी
7. विपिन पिता मुरलीधर काछी
8. ब्रजगोपाल पिता मुरलीधर काछी
9. भगवानदास पिता मुरलीधर काछी
   पंचों नावा0बलिसरपरस्त मॉ कौसा वेवा मुरलीधर काछी
   समस्त निवासी राजनगर तहसील राजनगर,
   जिला छतरपुर म0प्र0।
10. फूलापुत्री मुरलीधर काछी पत्नी रमेश काछी
11. कामता प्रसाद पिता श्री कन्हैयालाल काछी
12. हरीशंकर पिता श्री अयोध्या प्रसाद काछी
13. मिथला पत्नी गोविन्द दास काछी
14. गोवर्धन प्रसाद पिता श्री बद्री प्रसाद गुप्ता

समस्त निवासी राजनगर तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0। ------ गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 बिरूद्ध प्रकरण कमांक 57/अपील/2014–15 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर द्वारा म्याद अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 से परिवेदित होकर

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता हैं :–

1. यह कि स्थित मौजा राजनगर की भूमि खसरा नं0 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679,

क्रमशः//2//

//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-66-एक/2017 जिला छतरपुर बारेलाल विरूद्ध कौसा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 57/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	
18.1.19		

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

18.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य